आधुनिक भारत में सामाजिक न्याय के पैरोकार : गाँधी एवं अम्बेडकर

डॉ0 सत्य प्रकाश सिंह
एसो0प्रोफेसर, राजनीति विज्ञान विभाग
कुँवर सिंह पी0जी0 कालेज, बलिया (उ0प्र0)

शोध–सार

महात्मा गाँधी एवं डॉ0 भीमराव अम्बेडकर तकरीबन समकालीन थे। दोनों के दूरगामी लक्ष्य बहुत कुछ समान थे किन्तु गाँधी एवं अम्बेडकर के बीच अनेक महत्वपूर्ण मुद्दों पर व्यापक असहमति थी। उनके विचार, दृष्टिकोण एवं पद्धतियों में अंतर को देखते हुए यदि कहा जाय कि दोनों दो विपरीत ध्रुवों का प्रतिनिधित्व करते थे तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। गाँधी के सशक्त चिंतन एवं गरिमामय व्यक्तित्व के सम्मुख खड़े होने और उनका विरोध करने का साहस गिने–चुने लोगों में था। डॉ0 अम्बेडकर ऐसे ही कुछ गिने–चुने लोगों में से थे। मूलभूत उद्देश्यों सहित कई प्रमुख मुद्दों जैसे – स्वाधीनता, न्यायपूर्ण समाज की रचना, दलित एवं कमजोर वर्गों का उत्थान आदि पर इन दोनों महापुरुषों में व्यापक सहमति थी। कदाचित् दोनों का लक्ष्य एक सम्प्रभुता सम्पन्न राष्ट्र निर्माण की दिशा में था। यदि मतभेद थे तो मुख्यतः इनके बीच प्राथमिकता अथवा इन्हें प्राप्त करने की पद्धति से सम्बन्धित थे।

लगभग बीस वर्ष दक्षिण अफ्रीका में बिताने के बाद मोहनदास करमचन्द गाँधी सन् 1915 में भारत वापस आये। उनके स्वदेश लौटने के साथ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इतिहास में जिस युग का सूत्रपात हुआ उसे 'गाँधी युग' के नाम से जाना जाता है। सन् 1920 तक कांग्रेस एवं राष्ट्रीय आन्दोलन के नेतृत्व की बागडोर पूरी तौर पर गाँधी के हाथों में आ गई थी। गाँधी के पास नेतृत्व की क्षमता तो थी ही, सशक्त चिन्तन भी था, साथ में अन्याय के विरुद्ध निरन्तर संघर्ष करने की अपराजेय शक्ति और त्याग, तपस्या व समाज सेवा की विशिष्ट कार्यशैली भी थी, जिसकी वजह से वे न केवल भारतीय राजनीति वरन् भारतीय जनमानस के पर्याय बन गये।

भीमराव रामजी अम्बेडकर अमेरिका के कोलम्बिया विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में एम.ए. एवं पी–एच.डी. की शिक्षा पूरी कर स्वदेश वापस आये। स्वदेश आने के बाद उन्होंने जहाँ अपना व्यावसायिक जीवन आरम्भ किया वहीं सामाजिक कार्यों विशेषरूप से दलितों के उत्थान सम्बन्धी कार्यों में भी रुचि दर्शाई। किन्तु तीन वर्षों के छोटे अन्तराल के पश्चात् सन् 1920 में वे लन्दन चले गये जहाँ से उन्होंने एम.एस–सी., डी. एस–सी. तथा बार एट लॉ की उपाधियाँ अर्जित की। अप्रैल 1923 में अम्बेडकर पुनः भारत लौटे। यहीं से उनके सार्वजनिक व राजनीतिक जीवन का समारंभ हुआ तथा दलितों व शोषितों का सामाजिक न्याय के लिये संघर्ष का इतिहास भी प्रारम्भ हुआ।

गाँधी एवं अम्बेडकर तकरीबन समकालीन थे। दोनों के दूरगामी लक्ष्य बहुत कुछ समान थे। दोनों ही भारतीय समाज की सर्वांगीण उन्नति चाहते थे। दोनों अपने लक्ष्य के प्रति समार्पित भी थे। दोनों ही कर्म में विश्वास रखते थे और दोनों के लक्ष्य एवं कार्यों में पूर्ण सामंजस्य था। यद्यपि गाँधी एवं अम्बेडकर में अनेक समानतायें थीं तथापि दोनों के विचार, उपागम और प्राथमिकताओं में मौलिक अन्तर था। दोनों ही भारतीय समाज का पुनरुद्धार चाहते थे लेकिन दोनों के नजरिये अलग–अलग थे। गाँधी का नजरिया कमोबेश परम्परावादी था जबकि अम्बेडकर आधुनिकता के पक्षधर थे।

गाँधी अस्पृश्यता को हिन्दू समाज की बहुत बड़ी बुराई मानते थे। उनका कहना था कि अस्पृश्यता हिन्दू धर्म का कलंक है, जिसे मिटाना जरूरी है (हरिजन :1.12.1936) यदि अस्पृश्यता

रहती है तो अच्छा है कि हिन्दू धर्म नष्ट हो जाये। उन्होंने कहा कि मैं अछूत जन्मा तो नहीं लेकिन मैं अपने को अछूत मानता हूँ और चाहता हूँ कि अगले जन्म में मैं अछूत पैदा होऊँ। वस्तुतः गाँधी छूत और अछूत में भेद नहीं मानते थे। जहाँ तक जीविका के लिये अपनी जाति के धन्धे को अपनाने, अपनी जाति के लोगों में शादी–विवाह करने, उनके साथ खाने–पीने, उठने–बैठने का सवाल है, गाँधी को इसमें कोई बराई नहीं दिखती थी किन्तु जाति के आधार पर ऊँच–नीच के बर्ताव को बुरा मानते थे। गांधी की दृष्टि में वर्ण, जाति की तुलना में लचीला और प्रगतिशील है।

गाँधी हिन्दू समाज का पुनर्गठन वर्ण सिद्धान्त के आधार पर करना चाहते थे। वे हिन्दू धर्म की इस मूल मान्यता के समर्थक थे कि सभी मानव ईश्वर के अंश हैं और इसलिये सब समान हैं। इस दृष्टि से वे इस बात के हिमायती थे कि शिक्षा और आत्म–विकास का अवसर सभी को मिलना चाहिए, जितना यह ब्राह्मण, क्षत्रिय या वैश्य के लिये जरूरी है उतना ही शूद्र और अन्त्यज के लिये भी जरूरी है। वर्ण का इससे कोई विरोध नहीं होना चाहिये और यदि है तो उसे अस्वीकार किया जाना चाहिए। आदमी अच्छा सदगुणों और सद्कर्मों से तथा बुरा दुर्गुणों और दुष्कर्मों से होता है (गाँधी, 1962 : 127–28)।

कर्म और पुनर्जन्म वर्ण के अभिन्न तत्त्व हैं। इसलिये वर्ण में गाँधी के विश्वास का. अर्थ है कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धान्त में विश्वास। इस सिद्धान्त की मान्यता है कि प्रत्येक कर्म का फल होता है जो संचयीमान होता है, जिसका लेखा–जोखा जन्म–जन्मान्तर चलता है, जब तक कि व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो जाती। वर्तमान जन्म, पूर्व जन्म के कर्मों का फल हो सकता है और वर्तमान जन्म के कर्मों के फलों के अनुरूप भावी जन्म हो सकता है,। पाप एवं पुण्य क्रमशः दुष्कर्मों एवं सद्कर्मों के फल हैं तथा नर्क, स्वर्ग एवं मोक्ष कर्म फलों के अनुसार ही निश्चित होते हैं।

डॉ. अम्बेडकर समाज व्यवस्था में संशोधन नहीं वरन् मौलिक परिवर्तन चाहते थे। वे न केवल अस्पृश्यता का अन्त और जाति व्यवस्था का उन्मूलन चाहते थे वरन् वर्ण सहित संरचना के समस्त परम्परागत तत्त्वों को समाज से सदा–सर्वदा के लिये मिटा देना चाहते थे। उनके अनुसार वर्ण एवं जाति भिन्न नहीं हैं। वर्ण से जाति उत्पन्न हुई जिसकी चरम विकृति अस्पृश्यता है। डॉ. अम्बेडकर एक ऐसा समाज चाहते थे जिसकी रचना स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के सिद्धान्तों पर की गई हो। वर्ण, जाति, जजमानी तथा पुरोहिताई व्यवस्थायें उपर्युक्त सिद्धान्तों का निषेध करती हैं, इसलिये अम्बेडकर इन्हें स्वीकार करने के लिये कत्तई तैयार नहीं थे।

उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट होता है कि गाँधी के संरचनात्मक प्रारूप का निर्णायक तत्त्व वर्ण था जबकि अम्बेडकरवादी संरचना का आधारभूत तत्त्व वर्ग था। गाँधी वर्ग व्यवस्था को संपोषित करने वाली कर्म एवं पुनर्जन्म के सिद्धान्त पर आधारित हिन्दू वैचारिकी के समर्थक थे तो अम्बेडकर समाज में व्यक्ति को स्वतंत्रता एवं समानता प्रदान करने और उसकी गरिमा की रक्षा के प्रति समर्पित बौद्ध वैचारिकी के अनुशंसक थे।

स्पष्ट किया गया है कि व्यवस्था में परिवर्तन गाँधी और अम्बेडकर दोनों चाहते थे किन्तु परिवर्तन के लिए पहल कहाँ से आरम्भ की जाये, इस बात पर दोनों के मत भिन्न थे। गाँधी व्यक्ति को आदर्शों एवं मूल्यों का निर्माता और वाहक मानते थे तथा समाज की रचना में व्यक्ति की भूमि को बहुत महत्त्व देते थे। उनका मानना था कि जब तक व्यक्ति अच्छा नहीं होगा, समाज अच्छा नहीं हो सकता। अम्बेडकर यद्यपि व्यक्ति को बहुत महत्त्व देते थे किन्तु व्यक्ति में परिवर्तन के माध्यम से व्यवस्था में परिवर्तन लाने के विचार से वे सहमत नहीं थे। वे गाँधी की इस बात से भी सहमत नहीं थे कि व्यक्ति को नैतिक समझाहट देकर समाज में मौलिक परिवर्तन लाया जा सकता है।

अम्बेडकर का मानना था कि नई व्यवस्था के निर्माण के लिए नये व्यक्ति का निर्माण करना जरूरी नहीं है, जरूरी है पुरानी व्यवस्था पर आघात करना। समाज बदलेगा तो व्यक्ति अपने आप बदल जायेगा। समाज को बदलने से अम्बेडकर का अभिप्राय उन नियमों को बदलना

था जो सामाजिक, आर्थिक व राजनैतिक ढाँचे की रचना करते हैं। गाँधी यह मानते थे कि कमजोर वर्गों के उत्थान के बिना स्वतंत्रता की प्राप्ति सार्थक नहीं हो सकती किन्तु देश को स्वाधीन बनाना उनका प्रधान लक्ष्य था। अम्बेडकर दलितों के लिए स्वराज्य की तुलना में अंग्रेजी राज को बेहतर मानते थे। उनका कहना था कि सवर्ण, दलितों के प्रति द्वेष भाव रखते हैं, जबकि अंग्रेज तटस्थ हैं। उनकी दृष्टि में स्वराज्य का अर्थ था सवर्णों का शासन और दलितों की दासता।

उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि गाँधी दलितों को हिन्दू समाज का अंग मानते थे। उनकी समस्याओं को हिन्दू समाज की समस्या मानते थे और उनका निदान हिन्दू समाज के दायरे में करना चाहते थे। डॉ. अम्बेडकर की मान्यता इसके विपरीत थी।

डॉ. अम्बेडकर दलित समाज को हिन्दू समाज का अंग मानने को तैयार नहीं थे। उनका कहना था कि यदि दलित हिन्दू समाज के अंग होते तो हिन्दू उनके साथ अमानवीय व्यवहार नहीं करते। दुनिया का कोई समाज अपने किसीा भाग को अछूत नहीं मानता और न ही उन्हें अपने से पृथक करने के लिए बाध्य करता है। बीसवीं सदी के तीसरे दशक में अम्बेडकर ने दलित समस्या का निदान हिन्दू समाज के दायरे में किये जाने के लिये प्रयास किया किन्तु इसमें उन्हें सफलता नहीं मिली। अन्ततः वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि सुधारात्मक प्रयासों से इस समस्या को जड़ से मिटाना सम्भव नहीं है।

गाँधी की दृष्टि में भारत की खुशहाली गाँवों की खुशहाली पर निर्भर करती है। वे गाँवों को आर्थिक दृष्टि से समृद्ध और आत्म–निर्भर बनाना चाहते थे। वे मशीनीकरण, आटोमेशन और बड़े उद्योगों को बढ़ावा देने के पक्ष में नहीं थे। उनका मानना था कि भारत में प्रचुर जनशक्ति है, जो गाँवों में रहती है। मानव जनशक्ति के बेहतर उपयोग के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में लघु व कुटीर उद्योगों को बढ़ावा दिया जाना चाहिये। वहीं डॉ. अम्बेडकर औद्योगीकरण, आधुनिकीकरण और नगरीयकरण के पक्षधर थे। वे गाँव को प्रगतिविरोधी, अन्धविश्वास और पिछड़ेपन का दुर्ग मानते थे। उनका मानना था कि गाँव कितना ही प्रगति क्यों न कर लें, वे परम्परा से मुक्त नहीं हो सकते। सामाजिक ढाँचे में अछूतों के लिए न तो समान अधिकार और न ही न्याय है। यदि वे अधिकार और न्याय की बात करते हैं तो उन्हें उत्पीड़ित किया जाता है (अम्बेडकर, 1989 : 22–26)।

उपर्युक्त से विवेचन से स्पष्ट है कि गाँधी एवं अम्बेडकर के बीच अनेक महत्त्वपूर्ण मुद्दों पर व्यापक असहमति थी। उनके विचार, दृष्टिकोण एवं पद्धतियों में अन्तर को देखते हुए यदि कहा जाये कि दोनों विपरीत ध्रुवों का प्रतिनिधित्व करते थे तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी।

गाँधी के सशक्त चिन्तन एवं गरिमामय व्यक्तित्व के सम्मुख खड़े होने और उनका विरोध करने का साहस गिने–चुने लोगों में था। डॉ. अम्बेडकर ऐसे गिने–चुने लोगों में थे जिन्होंने कई मुद्दों पर गाँधी से असहमति व्यक्त की और अनेक अवसरों पर उनका मुखर विरोध किया। गाँधी ने यद्यपि डॉ. अम्बेडकर के विरूद्ध शायद ही कभी कोई तीखी या प्रतिकूल टिप्पणी की तथापि दलित नेतृत्व, पृथक् प्रतिनिधित्व और धर्म–परिवर्तन जैसे महत्त्वपूर्ण विषयों पर उन्होंने डॉ. अम्बेडकर के दावों का खण्डन अवश्य किया। व्यापक असहमति एवं मुखर विरोध के बावजूद सामाजिक, सांस्कृतिक एवं राष्ट्रीय हित के महत्त्वपूर्ण विषयों पर गाँधी एवं अम्बेडकर ने एक दूसरे के प्रति जिस सहयोग और सदाशयता का परिचय दिया इतिहास में उसकी मिसाल दुर्लभ है।

इस प्रकार हम देखते हैं कि मूलभूत उद्देश्यों सहित कई प्रमुख मुद्दों जैसे स्वाधीनता, न्यायपूर्ण समाज की रचना, दलित एवं कमजोर वर्गों का उत्थान आदि पर गाँधी एवं अम्बेडकर में सहमति थी। यदि मतभेद थे तो वे मुख्यतया इनके बीच प्राथमिकता अथवा इन्हें प्राप्त करने की पद्धति से सम्बन्धित थे। साथ ही आपसी भेद के कई मुद्दों को इन दोनों ने अपने जीवन–काल में या तो सुलझा लिया था या उसके लिए आवश्यक पृष्ठभूमि तैयार कर ली, जैसे गाँधी की सहमति से संविधान सभा एवं सविधान की मसौदा समिति में अम्बेडकर के चुने जाने से कई ऐसे मुद्दों के

निराकरण का रास्ता साफ हो गया। असहमति के अनसुलझे मुद्दों में पंचायतों की प्रभाविकता एवं साम्प्रदायिक समस्या का समाधान प्रमुख थे।

संदर्भ सूची–

1. अम्बेडकर, बी.आर. 1989 : डॉ. बाबा साहेब अम्बेडकर राइटिंग्स एण्ड स्पीचेज खण्ड 5, बाम्बे, गवर्नमेन्ट ऑफ महाराष्ट्र पब्लिकेशन्स.
2. अम्बेडकर, बी.आर. 1940 : थाट्स आफ पाकिस्तान, बाम्बे, थैकर एण्ड कम्पनी.
3. कीर, धनंजय, 1981 : डॉ. अम्बेडकर : लाइफ एण्ड मिशन्स, बाम्बे, पापुलर प्रकाशन.
4. गाँधी, एम.के. 1962 : इन सर्च ऑफ द सुप्रीम (अंक 3), वी.बी. खरे (संपा.), अहमदाबाद, नवजीवन पब्लिशिंग हाउस.
5. गाँधी, एम.के. 1947 : इण्डिया ऑफ माई ड्रीम्स, अहमदाबाद, नवजीवन पब्लिशिंग हाउस.
6. दास, भगवान, 1980 : दस स्पोक अम्बेडकर (खण्ड 4) बंगलौर, अम्बेडकर साहित्य प्रकाशन.
7. धर्माधिकारी, डी. 1985 : सर्वोदय दर्शन काशी, अखिल भारतीय सर्व सेवा संघ.
8. धावन, जी.एन. 1951 : सर्वोदय तत्त्व दर्शन, दिल्ली, सस्ता साहित्य मण्डल.
9. लिमये, मधु 1990 : डॉ. अम्बेडकर : एक चन्तन, मस्तराम कपूर (अनूदित), नई दिल्ली, सरदार वल्लभ भाई पटेल एजूकेशन सोसायटी.
10. लोखण्डे, जी.एस. 1977 : भीमराव रामजी अम्बेडकर : अ स्टडी इन सोशल डेमोक्रेसी, नई दिल्ली, इन्टेलेक्चुअल पब्लिशिंग हाउस.
11. ऋषि, हरिशचन्द्र, 1989 : मानव अधिकारों के प्रबल पक्षधर : डॉ. अम्बेडकर, विधायिनी 6 (4) : 113–19.
12. सिंह, आर.जी. 1986, भारतीय दलितों की समस्यायें एवं उनका समाधान, भोपाल, मध्य प्रदेश हिन्दी ग्रन्थ अकादमी.
13. सिंह, आर.जी. 1991 : डॉ. अम्बेडकर के सामाजिक विचार, भोपाल, मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रन्थ अकादमी
15. सिंह, आर.जी. 2002 : डॉ. अम्बेडकर का विचार दर्शन, भोपाल, मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रन्थ अकादम